मूलाराम -रामस्वरूप मु.नं. 72/09

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील रेस्पा. ने बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में अवसर दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 20.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
20.6.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 2.7.25 को पेश हो।	
2.7.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. रेस्पा. 3 की ओर से श्री राधेश्याम जोशी एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल मि. हो। बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 9.7.25 को पेश हो।	
9.7.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 72 / 2019

1 मूलाराम आयु 72 साल पुत्र फूसा जाति बलाई निवासी बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. हाल रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

अपीलांटस

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र हनुमान
2 हरिराम पुत्र हनुमान
3 मोहन पुत्र हनुमान
4 द्वारका पुत्र हनुमान
5 रामरतन पुत्र रामेश्वर
6 मूलचन्द पुत्र परमेश्वर
7 शारदा पत्नी परमेश्वर
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 शंकरलाल पुत्र फूसा जाति बलाई निवासी ग्राम बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। हाल रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 उप पंजीयक तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
13 पटवारी हल्का लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा आरएएस राजस्व वाद संख्या 203/2012 उनवानी मूलाराम बनाम रामस्वरूप आदि दिनांकित 11.07.2019 जिसके तहत अपीलान्ट का वाद रेस्पोडेन्ट का आवेदन पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 स्वीकार कर खारिज किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामकरण जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बनवारी लाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 203/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 111 वाके ग्राम बऊ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 2.95 हैक्टेयर गांव बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त आराजी मे से 4 बीघा 9 बिश्वा भूमि का खाता जमाबंदी संवत 2012 में फूसा पुत्र लादू चमार निवासी बऊ के नाम से बना हुआ है, जिसकी नकल दावे में पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। फूसा पुत्र लादू चमार निवासी बऊ वादी के पिता है। वादी के पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है। जवाब में अतिरिक्त कथन किये गये

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कि वादी तथा वादी का पिता फूसा पुत्र लादू भी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के सदस्य है। अनुसूचित जाति के सदस्य को जमीनविधितः सवर्ण जाति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। सवर्ण जाति के सदस्य को अनुसूचित जाति की जमीन अपने नाम करवाने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम प्रदान नहीं करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में केवल वाद नामंजूर किये जाने का प्रावधान है खारिज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण के समय न्यायालय को यह देखना होता है कि वाद पत्र के अभिकथनों से कोई वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन वाद को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा निमित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर गांव बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 1.13 हैक्टेयर हिस्से के संबंध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा निमित प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के अभिकथनों के अनुसार वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है न ही ऐसा उल्लेख अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में है। वाद संख्या 41/79 में अपीलान्ट पक्षकार ही नही था, इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री से अपीलान्ट कतई प्रतिबंधित नहीं है। द्वितीयतः वाद संख्या 42/79 में पारित निर्णय व डिक्री का अपीलाधीन वाद पर क्या असर है इसका निस्तारण आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण में नहीं किया जा सकता। वादी मय परिवार रामपुर मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में रहता है। वादी द्वारा दावे में प्रस्तुत उसके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह तथ्य साबित होता है। किसी आदमी के व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे स्थान पर आवास निवास करने मात्र से उसकी पैतृक संपति में उसके हक, अधिकार कतई समाप्त नहीं हो सकते है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2019 निरस्त फरमाई जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जावे कि दावे में जवाब दावा तनकीयात, साक्ष्य प्रस्तुति इत्यादि सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए दावे का गुणावगुण पर निस्तारण करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 111 वाके ग्राम बउ की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। वादी काश्तकार के रूप में भी दर्ज नहीं है। संवत 2012 में वादी 4 बीघा 9 बिश्वा भूमि पर उपकाश्तकार के रूप में दर्ज है। इस संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा हनुमान बनाम बालू आदि प्रकरण संख्या 42/2019 में दिनांक 19.12.1980 को निर्णय पारित किया गया था। जिसके अनुसार ग्राम बऊ में स्थित खसरा नम्बर 111 रकबा 11 बीघा 13 बिश्वा भूमि में से 4 बीघा 9 बिश्वा भूमि खण्ड का इन्द्राज बनाम प्रत्यर्थी बालूराम काटा जाकर उसके स्थान पर भी प्रार्थी हनुमान का नाम लिखा जावे अर्थात समस्त रकबे 11 बीघा 13 बिश्वा की पुख्ता पर प्रार्थी हनुमान के नाम लिखा जावें। निर्णित किया गया थ। वाद का निस्तारण दिनांक 19.12.1980 को प्रतिवादी के पिता हनुमान के हक में किया गया उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसरण में प्रतिवादी का पिता हनुमान खातेदार बना इस प्रकार प्रतिवादी का विवादित काश्त भूमि पर पीढ़ी दर पीढी कब्जा काश्त है वादी का विवादित काश्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी को विवादित काश्त भूमि के संबंध में कोई वादकारण हासिल नहीं है वादी मय परिवार रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ रहता है। वादी द्वारा दावे में प्रस्तुत उसके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र से यह तथ्य साबित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट की ओर से खातेदारी की उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई निर्णय पारित करने के स्थान पर आदेश 07 नियम 11 के तहत विचाराधीन निर्णय से वाद खारिज किया है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के निस्तारण के समय न्यायालय को यह देखना होता है कि वाद पत्र के अभिकथनों से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कोई वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है या नहीं, अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन वाद को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा निमित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर गांव बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 2.95 हैक्टेयर में से 1.13 हैक्टेयर हिस्से के संबंध में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को खातेदार, काश्तकार उद्घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा निमित प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र के अभिकथनों के अनुसार वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है न ही ऐसा उल्लेख अपीलाधीन आदेश एवं प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 111 रकबा 2.95 हैक्टेयर गांव बऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त आराजी मे से 4 बीघा 9 बिश्वा भूमि का खाता जमाबंदी संवत 2012 में फूसा पुत्र लादू चमार निवासी बऊ के नाम से बना हुआ है, जिसकी नकल दावे में पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। फूसा पुत्र लादू चमार निवासी बऊ वादी के पिता है। वादी के पिता के नाम से खातेदारी दर्ज है। जवाब में अतिरिक्त कथन किये गये कि वादी तथा वादी का पिता फूसा पुत्र लादू भी अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के सदस्य है। अनुसूचित जाति के सदस्य को जमीन विधितः सवर्ण जाति के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। सवर्ण जाति के सदस्य को अनुसूचित जाति की जमीन अपने नाम करवाने का अधिकार काश्तकारी अधिनियम प्रदान नहीं करता है। इस संदर्भ में गुणावगुण पर निर्णय तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 9/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर